

क्रमांक:- एफ.4/के-3192/2013/अलेसे-III/ 3320

दिनांक :- 13-05-2024

आदेश

आयुक्त, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ने अपने आदेश क्रमांक 2856 दिनांक 12.10.2023 से श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नंबर 23333) कार्यालय ईजीएस, जयपुर को राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया था, जिसकी पुष्टि निदेशालय के आदेश क्रमांक 985 दिनांक 02.11.2023 के द्वारा की गई थी।

श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (निलम्बित) को निलम्बित हुए 06 माह से अधिक की अवधि पूर्ण होने पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री सैनी को पूर्व में स्वीकृत भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(के.जी. गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)

क्रमांक:- एफ.4/के-3192/2013/अलेसे-III/ 3320

दिनांक :- 13-05-2024

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, ईजीएस ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. कोषाधिकारी जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने/पीआईएस इन्द्राज हेतु।
6. श्री कमलेश कुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II (लिंक नंबर 23333) (निलम्बित) मुख्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. जांच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक)